केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110067.

संचिका सं. 3/1/2018/Admin./CIC/ST/01047/5

दिनांक 27.11.2018

सेवा में,

[redacted]

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 29.10.2018 के आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित बिंदुवार सूचना अग्रांकित है :-

बिंदु सं. 1	केन्द्रीय सूचना आयोग से संबंधित सूचना आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in के CIC/IC Profile कॉलम में उपलब्ध है । राज्य से संबंधित सूचना आप संबंधित राज्य सूचना से प्राप्त करें ।
बिंदु सं. 6	केन्द्रीय सूचना आयोग में वर्तमान में सूचना आयुक्तों की संख्या चार है । केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा सूचना आयुक्तों को किए गए भुगतान से संबंधित सूचना डी.डी.ओ. द्वारा प्रदान की जाएगी ।
बिंदु सं. 9, 9 क	आपके द्वारा सूचना नहीं मांगी गई है बल्कि प्रश्न पूछे गए हैं जो कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है ।
बिंदु सं. 9 ख एवं ग	स्वीकृत पदों की सूचना संलग्न है ।
बिंदु सं. 15	वांछित सूचना काफी विस्तृत है जिसे संकलित नहीं किया गया है ।
बिंदु सं. 23	वांछित सूचना आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in के RTI Disclosure कॉलम में Foreign tour details of CIC/IC's में उपलब्ध है ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

सविता
(सविता तलूजा)
अनुभाग अधिकारी एवं
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि :- 28/11/18
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. सेल, केन्द्रीय सूचना आयोग (CICOM/R/2018/01047)

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
28 NOV 2018
D. No.........
Initials.........